अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम

स्रोत– 'द हिन्दू' ‖ '21 जुलाई, 2018'

IAS PCS

एक नजर में ...

अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम

क्या था मामला

- इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, वह डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य और एएनआर मामले की सुनवाई के दौरान आया था।
- महाराष्ट्र के एक दलित कर्मचारी ने अपने खिलाफ की गई गोपनीय टिप्पणी के चलते अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ इस कानून के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था।
- मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति मांगी तो उन्होंने अनुमति नहीं दी।
- इसके बाद उस वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ भी पुलिस में मामला दर्ज करा दिया गया।
- इस पर बचाव पक्ष का कहना था कि अगर किसी दलित व्यक्ति को लेकर ईमानदार टिप्पणी करना भी अपराध है, तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

उत्पीड़न के ज़्यादातर मामले झूठे हैं

- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के संबंध में विचार करने पर ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम में दर्ज ज्यादातर मामले झूठे पाए गए।
- न्यायालय द्वारा अपने फैसले में ऐसे कुछ मामलों को शामिल किया गया है।
- जिसके अनुसार 2016 की पुलिस जाँच में अनुसूचित जाति को प्रताड़ित किये जाने के 5347 झूठे मामले सामने आए, जबकि अनुसूचित जनजाति के कुल 912 मामले झूठे पाए गए।
- वर्ष 2015 में एससी-एसटी कानून के तहत न्यायालय द्वारा कुल 15638 मुकदमों का निपटारा किया गया।
- इसमें से 11024 मामलों में या तो अभियुक्तों को बरी कर दिया गया या फिर वे आरोप मुक्त साबित हुए। जबकि 495 मुकदमों को वापस ले लिया गया।
- केवल 4119 मामलों में ही अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। ये सभी आँकड़े 2016-17 की सामाजिक न्याय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किये गए हैं।

क्या कहा न्यायालय ने

- इस मामले में सरकारी कर्मचारी अग्रिम जमानत के लिये भी आवेदन कर सकते हैं। आप को बता दें कि अधिनियम की धारा 18 के तहत अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिये जाने पर भी रोक है।
- गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त की पेशी के समय मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कारणों पर विचार करने के बाद यह तय किया जाएगा कि क्या अभियुक्त को और अधिक समय के लिये हिरासत में रखा जाना चाहिये या नहीं।
- अन्य लोगों को जिले के एसएसपी की लिखित मंजूरी के बाद ही गिरफ्तार किया जा सकेगा।
- सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली अथॉरिटी की लिखित मंजूरी के बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है।
- अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
- इन नियमों का पालन न करने की स्थिति में पुलिस पर अनुशासनात्मक एवं न्यायालय की अवमानना करने के संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी।
- न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह जाँच पूर्ण रूप से समयबद्ध होनी चाहिये। जाँच किसी भी सूरत में 7 दिन से अधिक समय तक न चले।
- सबसे पहले शिकायत की जाँच डीएसपी स्तर के पुलिस अफसर द्वारा की जाएगी।
- ऐसे मामलों में किसी भी निर्दोष को कानूनी प्रताड़ना से बचाने के लिये कोई भी शिकायत मिलने पर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी।

एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम

- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम के लिये लाया गया।
- यह अधिनियम मुख्य अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का संशोधित प्रारूप है।

GS WORLD